

380
500

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 गुढागाँवडी
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार जमाबंदी लेटर 2015-18 के खता नं- 867 में धर्मी का नाम लक्ष्मी पति भोगलचन्द के रिकार्ड में अमल आवरण के बजाय लिखी देवी पति भोगलचन्द के नाम पर धर्मी का नाम लिखी देवी पति भोगलचन्द के अमल आवरण के खता नं- 867 में धर्मी का नाम लक्ष्मी पति भोगलचन्द के बजाय लिखी देवी पति भोगलचन्द अर्हिएर किछी दस्तावेजों के आधार पर जांच के बाद देखा है

क्रमांक - राजस्व/2020/
वासीलय तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागाँवडी
शुद्ध 867 खता नं 867

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
20/10/23

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनिश्चया की जाती है/की जाती है।

शुद्ध 867

लक्ष्मी पति भोगलचन्द के बजाय लिखी देवी पति भोगलचन्द किमा जाता है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागाँवडी

ग्राम पंचायत टोडी

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (शुद्ध)

उपखण्ड अधिकारी गुढा गाँवडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुन (राज.)

--: आदेश :-

दिनांक :- 21-10-2023

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागाँवडी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागाँवडी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुढागाँवडी	2075-2078	867	लक्ष्मी पति भोगलचन्द	लिखी देवी पति भोगलचन्द

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (शुद्ध)

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 265-266
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 21-10-2023

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागाँवडी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (शुद्ध)

